



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937

No.767]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 998(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा उसको की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, लघु उद्योग सेक्टर में अनन्य विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से संबंधित अनुसूची 3 में, क्र. सं. 3, 7, 11, 13, 47, 79, 253, 308, 313, 314, 319, 335, 364, 394, 402, 404, 409, 428, 447-क और 474 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 7(5)/2002-आईपी]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन संख्यांक का.आ. 2113(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 998(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government after considering the recommendations made to it by the Advisory Committee, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number S.O. 477(E) dated the 25th July, 1991, namely:—

In the said notification, in Schedule III relating to the 'List of Items Reserved for Exclusive Manufacture in Small Scale Sector', serial numbers 3, 7, 11, 13, 47, 79, 253, 308, 313, 314, 319, 335, 364, 394, 402, 404, 409, 428, 447-A and 474 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 7(5)/2002-IP]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and last amended *vide* number S.O. 2113(E) dated the 22nd August, 2014.